


चपोली टकोली मोटर मार्ग के प्रस्ताव सं० (FP/UK/ROAD/17177/2015) ऑन लाईन होने पर आयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reaply
1	2	3
1	Please give break up of road construction and muck disposal in B-2.4 - component wise breakup	मलवा निस्तारण हेतु प्रयोग में ली गई भूमि, मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व में ही रहेगी इस हेतु काश्तकारों से सहमति ले ली गई है जिसे अपलोड किया जा रहा है। जिस कारण नाप भूमि हस्तान्तरण में सम्मिलित नहीं की गई है। जिस कारण इसका विवरण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में दिया जाना सम्भव नहीं है।
2	The usar agency may do necessary correction in FRA and provideVLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet through which the proposed road is passing	एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सही कर पूर्ण रूप से सभी ग्रामों की सहमति लगाकर कर अपलोड किया जा रहा है।

मन :- उपरोक्तानुसार ।


 अधिशासी अभियन्ता
 अ०ख० ला० नि० वि० श्रीनगर
 मु० कीर्तिनगर

प्रारूप-30

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख

----- संलग्न है। -----

19/03/15
अधिकांसी अभियन्ता
ह०
अस्थाई खण्ड पोलीन विभाग
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रविष्टि नु० कोतिनगर

(55)

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**


Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Paint I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in *Devprayag* Block area measuring *1.746* Hectares for the construction of *Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road* in Tehsil *Devprayag* of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommend by the Sub Division Level Committee of *Devprayag* Sub Division where discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place:- Tehri

Date-


(ज्योति नरेश खेरवाल)
District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

FORM – I*(For linear Projects)*

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri garhwal

No.

Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.746** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Kirtinagar, Uttarakhand** for **Construction of Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi Motor Road** in **Tehri** District falls within jurisdiction of **Capoli, Takoli, Chamogi & Bhainswadi** Village(s) in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.746** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.


Encl: As above


(प्रियोदि नरिन्द्र खेरवाल)
District Collector
Tehri Garhwal


It is further certified that-

Minutes of meeting of *Chapoli, Takoli to Bhainswadi via Chamogi* Motor Road (4 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.746 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.


 जिला पंचायत सदस्य
 सदस्य
 टिहरी गढ़वाल
 39 आयुगी - पलेजी वन
 विकास खण्ड - देहरा
 टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल प्रदेश


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल अधिकारी
 टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल प्रदेश


 प्रभागीय वनाधिकारी
 टिहरी वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल
 प्रभागीय वनाधिकारी
 टिहरी वन प्रभाग
 नई टिहरी
 (ज्योति नीरज खैरवाल)
 जिलाधिकारी
 टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली - चमोली होते हुए भैरवाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 4.00 किमी,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चपोली
तहसील देवप्रयाग, जिला दिल्ली गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद दिल्ली गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली - चमोली होते हुए भैरवाड़ी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, 1.746 हे० सिविल सोयम भूमि, — हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.746 हे० वन भूमि का लौ० नि० वि० कीर्तिनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चपोली द्वारा दिनांक 19/08/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चपोली, चमोली एवं भैरवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लौ० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

Cholan
19 Aug 2015
बिरेन्द्र चौहान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चपोली
विकास खण्ड देवप्रयाग



नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.4

दिनांक 19/08/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जपोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वीरेंद्र सिंह उभर	वीरेंद्र सिंह
2	ओह सिंह कल	ओह सिंह
3	राजेश (दूरमा सिंह पत्नी)	राजेश
4	पद्म लाल	पद्म
5	विजेन्द्र लाल	विजेन्द्र
6	रमेश लाल	रमेश लाल
7	यशपाल सिंह बिहल	Yashpal
8	वैष्णव सिंह महर	वैष्णव सिंह
9	रतन सिंह खान	रतन सिंह
10	गर्ज सिंह	गर्ज सिंह
11	हरि सिंह	हरि सिंह
12	विनोद सिंह	विनोद सिंह
13	गलवी मिश्री	गलवी मिश्री
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



अनापार पत्र

सेवार्थ

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर,
जनपद सिद्धी गढ़वाल उत्तराखण्ड,

विषय:- चपौली से टकौली चमौली होल डुर नैस्वाडी तक मोटर-
मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रार्थना निवेदन है कि चपौली से टकौली चमौली होल डुर
नैस्वाडी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु ग्राम सभा
नन्दी (लोक टकौली) द्वारा कोई भी आपात्कृत है।

कल्याण सिंह
प्रधान (रुपे)
ग्राम पंचायत नन्दी
विकास खण्ड देवप्रयाग

① कल्याण सिंह - अप

② रतना सिंह - राजन सिंह

③ मेरा सिंह - मेरा सिंह

④ मन्ना सिंह - मन्ना/नन्दी

⑤ राजेन्द्र सिंह - राजेन्द्र सिंह

⑥ गोविन्द लाल - गोविन्द लाल

⑦ भगवान सिंह - भगवान सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नन्दी
कास खण्ड देवप्रयाग (टि० ग०)

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत
-चपोली से टकोली चमोली होते हुए भोस्वाड़ी तक भो-
मार्ग का निर्माण (पथम चरण) लम्बाई 4.00 किमी०;

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम नन्दोली (तोड़ टकोली)
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली - चमोली होते
हुए भोस्वाड़ी तक भोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (..... हे० आरक्षित वन
भूमि, 1:74.6 हे० सिविल सोयम भूमि, हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1:74.6 हे०
वन भूमि का लो० नि० वि० कीर्तिनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नन्दोली (तोड़ टकोली) द्वारा दिनांक 19/08/2015
को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया
गया कि ग्राम नन्दोली (तोड़ टकोली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण
हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/..... विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नन्दोली (तोड़ टकोली)
ग्राम सचिव
कास खण्ड देवप्रयाग (टि० ग०)

ह०/-

ग्राम प्रधान विकास खण्ड देवप्रयाग (टि० ग०)

नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 19/08/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...नन्दोली (लोह टोली)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	कल्याण सिंह	मन
②	राम सिंह राठा	रामनाथ सिंह
③	मेहर सिंह	मेहर सिंह
④	मकान सिंह	मकान सिंह
⑤	राजेश सिंह	राजेश सिंह
⑥	गोविंद बाबू	गोविंद
⑦	महावन्त सिंह गोविंददास	महावन्त सिंह
⑧	गोपी सिंह	गोपी सिंह
⑨	गोविंद सिंह	गोविंद सिंह
⑩	महावन्त सिंह	महावन्त सिंह
⑪	उमेश सिंह	उमेश सिंह
⑫	कल्याण सिंह राठा	कल्याण सिंह
⑬	विजय सिंह	विजय सिंह
⑭	धन सिंह	धन सिंह
⑮	राम सिंह	राम सिंह
⑯	नागचंद सिंह	नागचंद सिंह
⑰	दलब सिंह	दलब सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत नन्दोली
विकास खण्ड देवप्रयाग